an>

Title: Need to take safety and security measures for women in Wardha district, Mahrashtra .

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम लिमिट दी गई है, परंतु ऐक्चुअली यह सब्जेक्ट टाइम लिमिट के अंदर आने वाला नहीं है । हमारे क्षेत्र में एक ऐसी दुर्घटना हुई है, जिसके बारे में यहां बोलना बहुत जरूरी है । वर्धा डिस्ट्रिक्ट के हिंगनघाट गांव में एक युवती के साथ कल एक घटना घटित हुई है । एक युवक ने किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदकर उस युवती को सड़क पर ही बुरी तरह से जला दिया । वह लड़की मध्यम वर्ग से बिलाँग करती थी । हम सभी बेटियों के लिए बात करते हैं और 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ' का नारा देते हैं । आज गर्भ में बेटी बच रही है, परंतु जन्म लेने के बाद बेटियों को बचाने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए शासन की तरफ से कड़ा कानून आना चाहिए । इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है ।

महोदय, वर्धा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर महात्मा गांधी जी के शांति का संदेश दिया गया है । अगर उस डिस्ट्रिक्ट में या कहीं पर भी महिलाओं तथा लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो इससे लड़कियां न काम पर जा पाएंगी, न अपनी पढ़ाई कर पाएंगी और न ही खुले में बाहर घूम पाएंगी । अगर इन सब चीजों को कंट्रोल में करना है, तो हमें कड़ी कार्रवाई और कड़ा कानून इस पर लाना पड़ेगा, अदरवाइज हम जैसी महिलाएं भी सेफ नहीं हो पाएंगी । हम सिर्फ नाम के लिए सेफ हैं कि हम खासदार हैं, एमपी हैं । लड़कियों को सेफ करना है, तो इसके लिए कड़ा कानून लाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ है, उस पर तारीख पर तारीख ही चलनी है । फांसी का फैसला आने के बाद भी उन्हें फांसी नहीं मिलना और ऐसे ही चलते रहना है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री मलूक नागर,

श्री गिरीश चन्द्र,

श्री कुलदीप राय शर्मा,

श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी और

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्रीमती नवनित रवि राणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।